अनुदान संख्या 11 - वाणिज्य विभाग
GRANT No. 11 – DEPARTMENT OF COMMERCE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged –*				
मूल	*Original*	*1,00,00*	*1,07,00*	*88,80*	*-18,20*
पूरक	*Supplementary*	*7,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	*Voted -*				
मूल	Original	3300,56,00	5994,65,00	4605,84,43	-1388,80,57
पूरक	Supplementary	2694,09,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				970,20,86
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted -		682,99,00	689,55,76	+6,56,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(₹18.20 लाख)* मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए *₹7.00 लाख* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और जो स्वीकृत *विनियोग* का 17 प्रतिशत थीं।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹138880.57 लाख) अगस्त, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹269409.00 लाख के पूरक अनुदानों का 52 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of revenue section of the grant, the overall savings *(₹18.20 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *₹7.00 lakhs* obtained in March, 2011 and constituted 17 percent of the sanctioned *appropriation.*

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹138880.57 lakhs) constituted 52 percent of the supplementary grants of ₹269409.00 lakhs obtained in August, 2010 and March, 2011 and 23 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"					
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services					
मू.	O.	6230.00				
पू.	S.	340.00		6263.38	5839.16	-424.22
पु.	R.	-306.62				
मुख्य शीर्ष "2057"	Major Head "2057"					
पूर्ति तथा निपटान	Supplies and Disposals					
मू.	O.	7827.00				
पू.	S.	1533.00		9301.60	9050.40	-251.20
पु.	R.	-58.40				
मुख्य शीर्ष "2407"	Major Head "2407"					
बागान	Plantations					
मू.	O.	39356.00				
पू.	S.	24101.00		77884.00	77423.25	-460.75
पु.	R.	14427.00				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	12900.00				
पू.	S.	1.00		1.00	..	-1.00
पु.	R.	-12900.00				
मुख्य शीर्ष "3453"	Major Head "3453"					
विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion					
मू.	O.	263743.00				
पू.	S.	243434.00		408994.16	368271.62	-40722.54
पु.	R.	-98182.84				

(I) ₹13352.00 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹13026.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹13352.00 lakhs remained wholly unutilized under eleven heads; of these ₹13026.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2407" - "मसाले - अन्य व्यय - मूल्य स्थिरीकरण निधि स्कीम के अंतर्गत मूल्य स्थिरीकरण निधि न्यास को भुगतान" - ₹125.00 लाख पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(ख) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "चाय - अन्य व्यय" -

(i) "चाय उत्पादकों और अन्यों को सहायता"- ₹7000.00 लाख ;

(ii) "अनुसंधान और विकास" - ₹1700.00 लाख ;

(ख) "काफी - अन्य व्यय - काफी उत्पादकों और अन्यों को सहायता" - ₹400.00 लाख;

(ग) "रबड़ - अन्य व्यय - रबड़ उत्पादकों और अन्यों को सहायता" - ₹3001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(घ) "मसाले - अन्य व्यय - मसाला उत्पादकों और अन्यों को सहायता" - ₹800.00 लाख ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक शीर्ष के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - वाणिज्य विभाग"- ₹6230.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹340.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6570.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹730.84 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिज द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब

(A) Major Head "2407"– "Spices – Other Expenditure – Payment to Price Stablisation Fund Trust under Price Stablisation Fund Scheme" – ₹125.00 lakhs – due to availability of unspent balance of previous years.

(B) Major Head "2552"-

(a) "Tea - Other Expenditure"-

(i) "Assistance to Tea growers and others" - ₹7000.00 lakhs;

(ii) "Research and Development"- ₹1700.00 lakhs;

(b) "Coffee–Other Expenditure- Assistance to Coffee growers and others" –₹ 400.00 lakhs;

(c) "Rubber - Other Expenditure- Assistance to Rubber growers and others"–₹3001.00 lakhs(including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(d) "Spices – Other Expenditure- Assistance to Spices growers and others"– ₹800.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Commerce" – the original provision of ₹6230.00 lakhs was augmented to ₹6570.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹340.00 lakhs. However, there was a saving of ₹730.84 lakhs (including supplementary grant) - due to

करने और वेतन नियतन के कम मामलों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2057" - "निरीक्षण - पूर्ति निरीक्षणालय महानिदेशालय" - ₹2762.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹83.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2845.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹182.49 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) मुख्य शीर्ष "3453" -

(क) "व्यापार प्रतिनिधित्व - व्यापार आयुक्त" - ₹10060.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹562.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹10622.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹811.24 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) वेतन के अंतर्गत कम निधियों की आवश्यकता होने और कुछ मिशनों में रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) "निर्यात संवर्धन स्कीमों का प्रशासन" -

(i) "मद्रास निर्यात संसाधन क्षेत्र" - ₹587.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹51.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹638.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹120.09 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कम दावे प्राप्त होने, पट्टा करारों का निष्पादन न किए जाने और कम प्रशिक्षण कार्यक्रम होने के कारण हुई।

(ii) "कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र" - " ₹561.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹66.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹627.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹178.50 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) भंडारगृहों का स्थानांतरण न होने, रिक्त पदों

delay in completion of projects by Tata Consultancy Services and less finalisation of pay fixation cases.

(B) Major Head "2057" "Inspection – Directorate General of Supplies Inspectorate" – the original provision of ₹2762.00 lakhs was augmented to ₹2845.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹83.00 lakhs. However, there was a saving of ₹182.49 lakhs (including supplementary grant) - due to economy measures.

(C) Major Head "3453" -

(a) "Trade Representation - Trade Commissioners" – the original provision of ₹10060.00 lakhs was augmented to ₹10622.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹562.00 lakhs. However, there was a saving of ₹811.24 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds under salary and non-filling up of vacant posts in certain missions.

(b) "Administration of Export Promotion Schemes" –

(i) "Madras Export Processing Zone" – the original provision of ₹587.00 lakhs was augmented to ₹638.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹51.00 lakhs. However, there was a saving of ₹120.09 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less claims from International Organisations, non-execution of lease agreements and less training programmes.

(ii) "Cochin Special Economic Zone" – the original provision of ₹561.00 lakhs was augmented to ₹627.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹66.00 lakhs. However, there was a saving of ₹178.50 lakhs (including

के न भरे जाने और किराए पर ली गई इमारतों को खाली कर देने के कारण हुई।

(iii) "नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र" - ₹667.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹25.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹692.00 लाख का दिया गया था। तथापि, ₹78.09 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा देयता अपने पास लिए जाने के कारण हुई।

(iv) "जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र" - ₹47.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹7.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹54.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹7.16 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने और पट्टे पर किराए की देयता विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा लिए जाने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक शीर्ष के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2057" - "क्रय - पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय"- ₹5065.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1450.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6515.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, आधुनिकीकरण के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹127.11 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) "मुख्य शीर्ष "3453" -

(क) "विदेश व्यापार नियंत्रण - विदेश व्यापार महानिदेशक" ₹6240.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1600.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7840.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, पट्टा करारों का निष्पादन न होने और प्रकाशन के अंतर्गत कम निधियों की

supplementary grant) - due to non-shifting of stores, non-filling up of vacant posts and vacation of rented buildings.

(iii) "Noida Special Economic Zone" – the original provision of ₹667.00 lakhs was augmented to ₹692.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹25.00 lakhs. However, there was a saving of ₹78.09 lakhs (including supplementary grant) – due to liability being taken over by the Special Economic Zone Authority.

(iv) "Jaipur Special Economic Zone" – the original provision of ₹47.00 lakhs was augmented to ₹54.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7.00 lakhs. However, there was a saving of ₹7.16 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts and liability of lease rent being taken over by Special Economic Zone Authority.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2057" – "Purchase – DGS&D" – the original provision of ₹5065.00 lakhs was augmented to ₹6515.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1450.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹127.11 lakhs – due to receipt of less proposals for modernisation.

(B) Major Head "3453"-

(a) "Foreign Trade Control - Director General of Foreign Trade" – the original provision of ₹6240.00 lakhs was augmented to ₹7840.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1600.00 lakhs which, however, remained unutilised to the

आवश्यकता होने के कारण ₹257.44 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

extent of ₹257.44 lakhs - due to non-execution of lease agreements and less requirement of funds under publications.

(ख) "व्यापार सूचना और सांख्यिकी - वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक" - ₹1988.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹297.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2285.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, व्यय विभाग द्वारा पुनर्गठन का अनुमोदन न किए जाने और रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण ₹145.24 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Trade Information and Statistics - Director General of Commercial Intelligence and Statistics" – the original provision of ₹1988.00 lakhs was augmented to ₹2285.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹297.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹145.24 lakhs - due to non-approval of restructuring by Department of Expenditure and non-filling up of vacant posts.

(ग) "निर्यात संवर्धन स्कीमों का प्रशासन" -

(c) "Administration of Export Promotion Schemes" –

(i) "कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र" - ₹849.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹290.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1139.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि ₹167.79 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(i) "Kandla Special Economic Zone" – the original provision of ₹849.00 lakhs was augmented to ₹1139.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹290.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹167.79 lakhs; and

(ii) "विसाग निर्यात संसाधन क्षेत्र" - ₹478.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹45.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹523.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि ₹35.37 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(ii) "Visag Export Processing Zone" – the original provision of ₹478.00 lakhs was augmented to ₹523.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹45.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹35.37 lakhs;

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत रिक्त पदों के न भरे जाने, और पट्टे के किराए की देयता विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा लिए जाने के कारण हुई।

Saving under above two heads were due to non-filling up of vacant posts and liability of lease rent being taken over by Special Economic Zone Authority.

(घ) "निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता - निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठनों को सहायता"- ₹158355.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹200000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹358355.00 लाख कर दिया गया था, जो

(d) "Assistance for Export Promotion and Market Development – Assistance to Export Promotion and Market Development Organisations" – the original provision of ₹158355.00 lakhs was augmented to ₹358355.00 lakhs by

तथापि, नीति निर्वचन समिति, विदेश व्यापार महानिदेशक के स्पष्टीकरण की वजह से दावों के उपयुक्त न होने के कारण ₹134804.98 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

obtaining supplementary grant of ₹200000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹134804.98 lakhs - due to ineligibility of claims owing to clarification by policy interpretation committee, Director General of foreign Trade.

(IV) मुख्य शीर्ष "2407" - "रबड़ - उपकर के संग्रहण की तुलना में भुगतान - रबड़ बोर्ड" के अंतर्गत ₹1000.00 लाख की बचत (₹14000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर राज्यों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2407" - "Rubber – Payment against Collection of Cess – Rubber Board" – saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from North Eastern States.

(V) मुख्य शीर्ष "3453" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(V) Under Major Head "3453"- savings occurred under the following heads:-

(का) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य संगठन" - ₹794.93 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "International Cooperation – Other Organisations" – saving of ₹794.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 1000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from International Organisations.

(खा) "अन्य व्यय - बाजार प्रवेश पहल - निर्यात अध्ययन"- ₹1500.00 लाख की बचत (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्ययनों की कम आवश्यकता होने की वजह से कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure – Market Access Initiative – Export Studies" – saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies owing to less requirement for studies.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹82.29 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 82 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of ₹82.29 lakhs occurred constituting 82 percent of the sanctioned provision.

3. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5500.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2407" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹24102.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

3. (I) The above savings were partly (₹5500.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹24102.00 lakhs under Major Head "2407"– under the following heads:-

(का) "चाय - अन्य व्यय - चाय बोर्ड" - ₹1500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1499.00 लाख था।

(A) "Tea – Other Expenditure – Tea Board" – ₹1500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1499.00 lakhs.

(खा) "रबड़ - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - ₹4000.00 लाख।

(B) "Rubber – Other Expenditure – Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – ₹4000.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2407" -

(A) Major Head "2407"-

(क) "चाय - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - ₹8700.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(a) "Tea - Other Expenditure - Schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim" - excess of ₹8700.00 lakhs (against nil provision);

(ख) "काफी - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - ₹400.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(b) "Coffee - Other Expenditure - Schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim" - excess of ₹400.00 lakhs (against nil provision);

(ग) "मसाले - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - ₹800.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(c) "Spices - Other Expenditure - Schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim"-excess of ₹ 800.00 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation in projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3453" - "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - विश्व व्यापार संगठन को अंशदान" - ₹197.36 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व व्यापार संगठन को अंशदान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3453" – "International Co-operation - Contribution to the World Trade Organisation" - excess of ₹197.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards contribution to World Trade Organisation.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹93.01 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹93.01 lakhs occurred constituting 47 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹656.76 लाख अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय ₹6,56,75,900 था)। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित करने की आवश्यकता होती है।**

4. In the capital section of the grant, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹656.76 lakhs (actual excess was ₹6,56,75,990). **The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुईं:-

Excess/savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	3900.00	..	..	..
पु.	R.	-3900.00			
मुख्य शीर्ष "5453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head " 5453 " Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	62898.00	66798.00	67455.76	+657.76
पु.	R.	3900.00			

(I) मुख्य शीर्ष "5453" - "सामान्य - अन्य व्यय - निर्यात अवसंरचना और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता संबंधी स्कीम" के अंतर्गत ₹4543.23 लाख का अधिक व्यय (₹62398.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्कीमों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) Under Major Head "5453"– "General - Other Expenditure - Scheme for Central Assistance for Developing Export Infrastructure and Other Allied Activities"- excess of ₹4543.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62398.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds for schemes by Ministry of Urban Development.

5. उपर्युक्त अधिक व्यय बचतों द्वारा आंशिक रूप से निम्नानुसार प्रतिसंतुलित हो गया था:-

5. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) ₹3901.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹3900.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "सामान्य - विदेश व्यापार पर पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - निर्यात अवसंरचना और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता संबंधी स्कीम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹3901.00.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹3900.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "General - Capital Outlay on Foreign Trade – Other Expenditure – Scheme for Central Assistance for Developing Export Infrastructure and Other Allied Activities"– due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.